INDIA NON JUDICIAL

IN-UP51615362167800W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP51615362167800W
Certificate Issued Date	:	15-May-2024 01:34 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14370804/ BELTHRA ROAD/ UP-BAL
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1437080499601981068368W
Purchased by	:	JAWED ANWAR SO LATE ISTYAQUE AHMAD
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	MAUJA PIPRAULI BADAGAW TEHSIL BELTHARA ROAD BALLIA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BALLIA PUBLIC E AND W TRUST TRUSTI JAWED ANWAR
Second Party	:	JAWED ANWAR SO LATE ISTYAQUE AHMAD
Stamp Duty Paid By	:	JAWED ANWAR SO LATE ISTYAQUE AHMAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,150 (One Thousand One Hundred And Fifty only)

Please write or type below this line

जावेद अनवर

QE 0002720105

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

जावेद अनवर

Trust Deed—न्यास पत्र

देय स्टाम्प—1150.00

ट्रस्ट का नाम— : **बलिया पब्लिक एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट।**

हम कि **जावेद अनवर पुत्र—स्व0 इश्तेयाक अहमद साकिन—पिपरौली बड़ा गॉव पो0—पिपरौली बड़ा गॉव थाना—उभॉव**, परगना—सिकन्दरपुर गर्वी, तहसील—बेल्थरारोड, जनपद—बलिया (उ0प्र0) पिन—221715 का निवासी हूँ तथा मेरा आधार संख्या—XXXX XXXX 3653 व मो0—9919052819 है। हम अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्जित धन मे से 10,000.00 रूपये देकर निम्न नाम धारी ट्रस्ट या न्यास की स्थापना करता हूँ । हम **बलिया पब्लिक एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट। साकिन—पिपरौली बड़ा गॉव पो0—पिपरौली बड़ा गॉव** थाना—उभॉव, परगना—सिकन्दरपुर गर्वी, तहसील—बेल्थरारोड, जनपद—बलिया (उ0प्र0) पिन—221715 का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरो से रजिस्टर करते है।

ट्रस्ट (न्यास) की विविध प्रतिबद्धता:—

यह कि ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस ट्रस्ट ऐक्ट के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होगें जो कि इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक हैं और न्यायिक विधि में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। ट्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्रस्ट(न्यास) का नाम	**बलिया पब्लिक एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट।**
ट्रस्ट का पता—	ग्राम—पो0—पिपरौली बड़ा गॉव, थाना—उभॉव परगना—सिकन्दरपुर गर्वी, तहसील—बेल्थरारोड जनपद—बलिया (उ0प्र0) पिन—221715
ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय—	ग्राम—पो0—पिपरौली बड़ा गॉव, थाना—उभॉव परगना—सिकन्दरपुर गर्वी, तहसील—बेल्थरारोड जनपद—बलिया (उ0प्र0) पिन—221715
ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र—	सम्पूर्ण भारत एवं [illegible]र्राष्टीय।
ट्रस्ट निर्माता(न्यासकर्ता)	जावेद अनवर

जावेद अनवर

निम्नलिखित व्यक्तियों ने बलिया पब्लिक एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट। सदस्य बनाने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान की है।

क0सं0	नाम/पिता/पति का नाम	ट्रस्टी पद	पता	व्यवसाय
1.	जावेद अनवर पुत्र स्व0 इश्तियाक अहमद	मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/ अध्यक्ष	ग्राम–पो0–पिपरौली बड़ा गॉव तहसील–बेल्थरारोड, बलिया।	एडवोकेट
2.	मुसर्रत जहॉ पत्नी–जावेद अनवर	सदस्य	ग्राम–पो0–पिपरौली बड़ा गॉव तहसील–बेल्थरारोड बलिया।	गृहिणी
3.	नौशाद अहमद पुत्र–स्व0 इश्तियाक अहमद	सदस्य	ग्राम–पो0–पिपरौली बड़ा गॉव तहसील–बेल्थरारोड, बलिया।	समाजसेवा

अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन बाद मे अपनी इच्छानुसार कर लिया जायेगा, जो ट्रस्ट का सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष अनुमति प्रदान करेंगे।

वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय **ग्राम–पो0–पिपरौली बड़ा गॉव थाना–उभॉव परगना–सिकन्दरपुर गर्वी, तहसील–बेल्थरारोड, जनपद–बलिया (उ0प्र0) पिन–221715** है। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा तथा आवश्यकतानुसार कहीं अन्यत्र स्थापित एवं संचालित किया जायेगा। न्यासकर्ता/ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्य निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

जावेद अनवर

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

1. कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए प्री–प्राईमरी स्तर से उच्च स्तर तक स्नातकोत्तर महाविद्यालयों, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, बालक / बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी एवं चकित्सा संस्थान, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग / फार्मेसी बी0फार्मा / डी0फार्मा / एम0 फार्मा / पालीटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) शिक्षक प्रशिक्षण संस्था एन0सी0टी0ई0,जे0बी0टी0यू0, एम0सी0आई0, एस0सी0ई0आर0टी, एवं यू0जी0सी0 द्वारा संचालित बी0एड0 / एम0एड0 / बी0टी0सी0 / डी0एल0एड0 / बी0एल0एड0 / बी0पी0एड0 / डी0एड0 / आई0टी0ई0पी0 के सभी कोर्सो को संचालित करने वाले स्कूल, कालेज, डिम्प विश्वविद्यालय, विश्वविद्यलयों की स्थापना करना एवं संचालन करना, मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, होम्योपैथिक कालेज, एलोपैथिक कालेज, वैज्ञानिक व शोध संस्थानों सीड व रिसर्च सेन्टर, योगा कालेज के अन्तर्गत डिप्लोमा,स्नातक, परास्नातक कोर्स, दन्त चिकित्सा के अन्तर्गत बी0डी0एस0, एम0डी0एस0, तथा डेन्टल हाईजनिग डिप्लोमा सहित अन्य कोर्स, चित्रकला, प्राविधिक, आई0डी0वी0, बाम्बे आर्ट, ए0एम0टी0 तथा बी0एफ0ए0, एम0एफ0ए0, कोर्स, आवासीय विद्यालयों, आनावासीय विद्यालयों, कान्वेन्ट विद्यालयों, बालश्रमिक विद्यालयों आश्रम पद्धतिविद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, सिक्ख पंजाबी गुरूमुखी विद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र, हरिजन विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयो, मदरसा, मक्तब, अल्पसंख्यक संस्थान, उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी, तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो, आंगनबाड़ी, बाल पुष्टाहार योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों, किसान महाविद्यालयों, चरवाहा विद्यालयों, महाविद्यालयो आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

2. निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीड़ास्थलों, छात्रावासों अनाथालयों, वृद्धाश्रमों विधवाश्रमों, नारी निकेतनों, बालसंरक्षण गृहों, सामुदायिक उत्पादन केन्द्रो, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं, विवाह भवन, यात्रिनिवास, रैनबसेरा, पैरामेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना, फीजियोथेरेपी कालेज, नेचुरोपैथी कालेज, से सम्बन्धित विभिन्न कोर्सो में स्नातक एवं परास्नातक व डिप्लोमा स्तर तक के कालेज की स्थापना एवं संचालन करना।

जावेद अनवर

3. नर्सिंग होम एवं कालेज की स्थापना एवं संचालित करना ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, नर्सिंग बी0एस0सी0, नर्सिंग एम0एस0सी0, एवं पोस्ट बेसिक नर्सिंग इत्यादि कोर्स की स्थापना करना तथा ट्रस्ट दैवी आपदा में जिला एवं राज्य प्रशासन का समय–समय पर सहयोग करेगा ट्रस्ट सरकारी, अर्धसरकारी भूमि पर जिला एवं राज्य प्रशासन तथा भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर कल्याणकार्य योजनाओं का संचालन करेगा। तथा बाल श्रमिकों का चिन्हींकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुऑ मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें तथा बाल श्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना। व वेश्यावृत्ति रोकना एवं उनके बच्चो को समाज में उचित स्थान दिलाना।

4. दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु विशेष शिक्षा डी0एड0डिप्लोमा, समेकित शिक्षा इत्यादि विद्यालय की स्थापना करना। दिव्यांगजनो को निःशुल्क कृत्रिमअंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों का क्रय व वितरण करना। मूक–वधिर, अंधो, आप्टोमेट्री–नेत्र रोग निदान हेतु कालेज की स्थापना कर डिप्लोमा स्नातक, परास्नातक विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना तथा राजकीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अनुदानित कर समाज के मुख्यधारा में उन्हें स्थान दिलाना।

5. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्ड वेयर, कम्प्यूटर साफ्ट वेयर, इण्टरनेट, साइबर कैफे, सिलाई, कढाई, कटाई, बुनाई, तकनीकी कुटीर,शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठ कला, कम्प्यूटर टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेटिंग, जरीकढ़ाई, चिकन कढाई, कालीन बुनाई, दरी बुनाई, संगीत, नाट्य, वाद्य कला, नृत्य, मोटर ट्रेनिंग कालेजों, कृषि अनुसंधान केन्द्रों व्यूटीपार्लरों, फोटोग्राफी, ए0सी0, रेफ्रिजरेशन, फैशन डिजाइनर, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब पैथालोजिस्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, मासकम्युनिकेशन, साफ्टवायज नृत्यथियेटर, माडलिग, कुकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ केंयर टीचर ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड रिसर्च ट्रेनिंग, प्रेस रिपोर्टर ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेन्ट एण्ड आफिस मैनेजमेन्ट, विजनेस डेवलपमेन्ट ट्रेनिंग, पेटिंग, आदि शिक्षण प्रशिक्षण कालेजो/केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

6. जनविकास हेतु विचारगोष्ठियों, सेमिनार, रैली, नुक्कड़ नाटक, सभा, समारोह, प्रवचन सभाओं, अध्ययन शिविरों, सम्मेलनो, स्मृति दिवसों तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं संचालन करना तथा धर्मार्थ चिकित्सालयों व विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

जावेद अनवर

7. नदियों मे गन्दे पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यकम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराना।

8. गरीब व कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, हरिजन, विकलांग, सामान्य वर्ग (आर्थिक रूप से कर्मजोर), मेधावी, निराश्रित, असहाय, मृतक आश्रित, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चो, बाल श्रमिको को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तके व अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना।

9. पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानो, पशु अस्पतालों, प्रदूषण जॉच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा केन्द्र, युवा विकास प्राधिकरण, प्रधानमंत्री राहत कोष, खेल मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्लू0एच0ओ0, सिडवी, आवर्ड, कपाट, नाबार्ड, नोराड, डूडा, सूडा, डवाकरा, अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वर्ण जयन्ती, स्वरोजगार स्वजल धारा, वर्ल्डविजन सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में कियान्वित करना।

11. बालक/बालिकाओं, कलाकारों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय–समय पर खेलों, सेमीनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन संचालन करना, सफल बालक/बालिकओं, कलाकारो को पुरस्कृत करना। महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करना एवं संचालित करना।

12. भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत, स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यकमों को कियान्वित करना।

13. वाटरशेड व जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेन्ट योजनाओं को कियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल, आर–ओ वाटर, संयंत्र जगह–जगह उपलब्ध कराना।

जावेद अनवर

14. मातृ एवं शिशु कल्याण योजनाओं को कियानवयन हेतु जच्चा–बच्चा केन्द्र स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना ताकि जगह–जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरो, टीकाकरण शिविरों, पल्सपोलियों शिविरों, हेपेटाइटिस शिविरों, दवाखानों, चेरिटेबुल अस्पतालों, एड्स अपंगता, कुष्ठ, अंधता निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

15. स्वयं सहायता समूह का गठन करना एवं कराना तथा उनके विकास हेतु लघु कुटीर उद्योग को बढावा देने हेतु मोमबत्ती, अगरबत्ती, दियासलाई, वाशिंगपाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, साबुन अचार, मुरब्बा, चिप्स, चाकलेट, नमकीन, विस्कुट, नील, चाय, कागज की कप, प्लेट, कुकरी, बेकरी, दूध एवं दूध से बने सामग्री एवं पेय पदार्थ, शुद्ध एवं आरो पेयजल एवं शील्डवाटर आदि का निर्माण एवं वितरण करना तथा उनके निर्माण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, बड़े उद्योग की स्थापना करना एवं संचालित करना।

16. समाज मे व्याप्त कुरीतियों तथा दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, लवजेहाद को रोकना। नशा, शराब, गांजा, अफीम, भांग तम्बाकू आदि का सेवन करने वालो को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

17. भ्रष्टाचार उन्मूलन, जागो ग्राहक जागों, आदि उपभोक्ता फोरम से सम्बन्धित सरकार द्वारा चलाई जा रही है जन जागरूक कार्यक्रम, रैली, गोष्ठी, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जनता के बीच लाकर जागरूक करना एवं निःशुल्क न्यायिक सहायता प्रदान करना तथा गांवो का विकास करना तथा गांवों मे निःशुल्क शौचालयों मूत्रालयों सफाई पेयजल क्रीड़ा स्थलो, पूजा स्थलो का निर्माण एवं साफ सफाई करना तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

18. गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ0सी0आर0ए0 की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना।

जावेद अनवर

19 कस्तूरबा गॉधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यकमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाले वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।

20. युवाओं की मांगों को सरकार तक सदभाव पूर्वक पहुचाने का प्रयास करना तथा युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना। मानवाधिकार की जागरूकता सेमिनार आयोजित करना और बाल मजदूरो की रक्षा करना।

21. दैवीय आपदा तथा बाढ,, सूखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, कोरोना, तूफान आदि के समय लोगों की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, दवा, इलाज, आवास वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना। अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवाधिकार संरक्षण के लिए समर्पित ट्रस्ट।

22. वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतो एवं साधनों का विकास करना उन पर महत्वपूर्ण शोध करना उनके उपयोग के बारे मे लोगों को जागृत करना देश मे आने वाले ऊर्जा संकट से बचनेके लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक उर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार–प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत सरकार एवं वैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान उत्तर प्रदेश में अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन विभागीय अनुमति से करना ताकि ग्लोबल वार्मिग को रोकने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

23. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यकमों को कियान्वित करने का प्रयास करना तथा कम्प्यूटर कालेज की स्थापना करना CCC, BCC, O लेवल, A लेवल, BCA, MCA PGDCA, ADCA, BBA, MBA इत्यादि के कालेज संचालित करना एवं संबंधित संस्था से मान्यता प्राप्त करना।

24. आर्थिक रूप से पिछड़े,असहाय,कमजोर लोगो को सहायता प्रदान करना, ट्रस्ट से सम्बन्धित सदस्यों, पदधिकारीगण को आर्थिक, चिकित्सकीय, इत्यादि प्रकार की सुविधा प्रदान करने के साथ ही दुकान की स्थापना करने एवं रोजगार हेतु विशेष व्यवस्था एवं मदद करना। पटरी ठेले, वाहनयुक्त फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक शाफ्ट ड्रिंक, चाय, बिस्कुट, कीम, दूध, ब्रेड, शब्जी, मोची एवं टुटे–फुटे सामानो के मरम्मत करने वाले कारीगरो एवं दुकानदारों की सहायता करना एवं उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयास करना।

जावेद अनवर

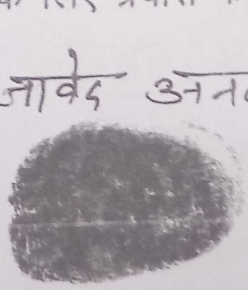

25. स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों मे विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जॉच व परीक्षण करना एवं समय– समय पर टीका करण आदि कराने का प्रयास करना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना।

26. युवक व युवतियों मे समाज सेवा देश सेवा ग्राम सेवा सदाचार कर्तव्य सहायता आत्म विश्वास व स्वावलम्बन तथा भाई–चारे की भावना जागृत करने का प्रयास करना।

27. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, एड्स, कैंसर, टी0बी0, चेचक, फायलेरिया, पोलियों, आदि के उन्मूलन एवं नियत्रंण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधायें विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना।

28. वित्तीय संस्थानों बैंको एवं वित्तीय कम्पनियों की स्थापना एवं संचालन करना। ग्राहक सेवा केन्द्र, जनसेवा केन्द्र, इत्यादि की स्थापना एवं संचालन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अनुसार करना व कराना।

29. स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा योगा चिकित्सा, आयुर्वेदिक चकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा एक्यूपंचर चिकित्सा को विकसित करना एवं कालेजो की स्थाना एवं संचालन करना।

30. गांवों मे रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह–जगह चौपालों, जनजागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों को घरो में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना ताकि जगह–जगह निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, पेयजल सफाई की निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करना।

31. औषधि कार्यो के लिए जड़ी–बूटियों का उत्पादन व संग्रह करना आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना तथा उनके गुणवत्ता के बारे मे लोगों को बताना तथा जल संरक्षण जल चक्र व जल संसाधन से सम्बधित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध करना।

जावेद अनवर

32. गरीब असहाय निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक–पृथक शादी–विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट, उपहार आदि सामान उपलब्ध करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करना।

33. कृषि उत्पादन बढाने का प्रयास करना तथा किसानो को नये तकनीकी यंत्रों खाद बीजों कीटनाशक दवाओं ऊसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हे उपलब्ध करना व कराना।

34. जेट्रोफा (डीजल का पौधा) रतन जोत की खेती को बढावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं जेट्रोफा के वृक्ष को लगवाने का प्रयास करना व कराना।

35. जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों मे जागृति पैदा करना तथा जीव जन्तुओं के प्रति कूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना व कराना।

36. युवक/युवतियों के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करना तथा अध्यात्म व व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।

37. आयुर्वेदिक चिकित्सा, नेचूरोपैथी चिकित्सा, फिजियोथैरेजी चिकित्सा, के अन्तर्गत डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षो का रोपण करवाना एवं उनकी देख–रेख करना तथा उनके प्रभाव के बारे मे लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार–प्रसार करना तथा जगह–जगह आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, शिविरों, दवाखानो इत्यादि की स्थापना एवं संचालन करना ।

38. संस्था विकास हेतु प्राप्त अनुदान में टैक्स पर छूट प्राप्त करना। आयकर अधिनियम की धारा 12 (क) एवं 80 जी (5) की मान्यता प्राप्त करना।

जावेद अनवर

39. मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा का निर्माण एवं चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना तथा उसकी बाउन्ड्री वाल करना तथा मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा मे पुजारी, मौलवी, पण्डित, पुरोहित एवं अन्य कर्मचारी को कार्यो हेतु रखना।

40. सृष्टि के समस्त मानव जाति के नैतिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मनोबैज्ञानिक, भौतिक विकास हेतु सभी प्रकार के उत्थान एवं विकास हेतु प्रबन्धन करना, संगठन बनाना एवं संचालित करना। देश, प्रदेश जिलो के लोगो को जोड़ने अथवा संगठित करने के लिए समितियें उपसमितियों संगठनो, फेसबुक, वाट्शग्रुप, इस्टाग्राम,टेलीग्राम,ट्यिूटर, वेवपेज, ई–मेल, जी–मेल, ई–पेपर, समाचार पत्र, प्रेस, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक्स मीडिया ऐपस के माध्यमो से लोगो को जोड़ना, संगठन समूह बनाना एवं संचालित करना।

41. मन्दिर, मस्जिद, मठ, कब्रिस्तान, शवदाह, के नाम पर पड़ी भूमि में कृषि कार्य अथवा वृक्षारोपण करवाना तथा उससे अर्जित धन को समाज के विकास व अन्य चेरिटेबुल कार्यो मे व्यय करना।

42. साहित्यक, बैज्ञानिक, मनोबैज्ञानिक, भौगोलिक, भाषा, ज्ञान, प्रकृति, प्राणी, जड़, जल, जंगल, जमीन, पशु पक्षी, जन्तु इत्यादि के रख–रखाव का प्रबन्ध करना, तथा उनके विकास हेतु शोध एवं कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना।

43 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना, जिसके अन्तर्गत वृद्ध महिला व पुरूष जो कि असहाय हो उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख–रेख चिकित्सा व उनके पुर्नवासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था लिए कार्य करना।

44 किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यमंत्री, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार विदेशी सरकार, उद्योगपति, व्यापारी, प्रतिनिधि किसी व्यक्ति, समूह, संगठन, प्रतिष्ठान आदि से सहायता, दान, चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना।

45. संगीत, वादन, गायन, तथा नृत्य कला, में डिप्लोमा स्नातक एवं परास्नातक कोर्स के विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना। तथा उक्त को विकसित करना।

जावेद अनवर

46 राजनीतिक पार्टी का गठन करना तथा नियमानुसार चुनाव आयोग भारत से पंजीकृत कराकर संचालित करना व अनेक संगठनो का गठन एवं संचालन करना तथा इसे छोटी–छोटी ईकाईयों में विभक्त कर संचालित करना।

47 विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी यथा राज्य सरकार केन्द्र सरकार व अन्तर्राष्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना अथवा संचालित करना।

48. सिक्योरिटी गार्डो को प्रशिक्षण देना, तथा सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड, डंडा मैन, गनमैन, लेबर कर्मचारी आदि उपलब्ध करना।

49. संसार के समस्त मानव समाज के उत्थान एवं विकास के लिए प्राथमिक (नर्सरी) एवं उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना करना बैदिक एवं गुरूकुल शिक्षा प्रणाली को विकसित करना तथा उनके नैतिक एवं चरित्रिक विकास हेतु वैदिक संस्कारो को सम्पन्न कराना।

50 मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरूद्वारा की देख–भाल,पूजा–पाठ साफ–सफाई जीर्णोद्धार से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करना।

51 दैनिक, पक्षिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास, शिक्षाप्रद पुस्तके, धार्मिक पुस्तके एवं ग्रन्थ, मैग्जिन इत्यादि को प्रकाशित करना एवं वितरित करना तथा इस हेतु प्रेस व प्रिन्टिग प्रेस स्थापित करना।

52. मंदिर, मस्जिद गुरूद्वारा की चल/अचल सम्पत्ति की देख–भाल व सुरक्षा करना, मंदिर परिसर के अन्तर्गत विवाह मंडप (मैरिज हाल) की स्थापना एवं संचालन करना तथा उससे अर्जित धन को मंदिर, गुरूद्वारा मठ के विकास में व्यय करना।

जावेद अनवर

53. विशेष टास्क फोर्स का गठन कर बाल श्रम करने वाली प्रतिष्ठानो दुकानो एवं देह व्यापार करने वाले स्थानो–रेड लाईट ऐरिया पर छापा मारकर उन्हे मुक्त कराना एवं सामूहिक विवाह संस्कार आदि का आयोजन करना।

54 गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर आपसी सहयोग एवं एकता लाने का प्रयास करना तथा सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा विकास करना।

55. खादी और ग्प्रमोद्योग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आनुवांशिक/प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना कच्चे माल की व्यवस्था करना एवं उससे तैयार बस्तु को बाजार मे विक्रय करना भारत सरकार द्वारा निर्धारिम कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत कम्पनी,एजेन्सी, भारी एवं हैबी उद्योग की स्थापना एवं संचालन करना।

56 किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक, अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों आयोग/अथवा राज्य मण्डल और अथवा संस्था/और/अथवा/संघ/राज्य सरकार से चन्दा,दान,अनुदान, वसीयत और धरोहरों, को योजना को प्राप्त अथवा स्वीकार करना।

57 संस्था द्वारा अपने सभी अथवा किन्ही उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि, भवन, सूबाधारी तथा चल और अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान, क्रय विनिमय किराये या पट्टे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना।

58. मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण तथा रख–रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमें हेर–फेर, विस्तार, सुधार, मरम्मत, परिवर्तित अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश, नाली, पानी, फर्नीचरों, जूडनारों यंत्रों, जिम, उपकरणों संयंत्रों से सुसज्जित और प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया या धारित हैं उपयोग के लिए अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना।

जावेद अनवर

59 न्यासकर्ता/ट्रस्टी/प्रबन्धक को ट्रस्ट अथवा ट्रस्टी के अन्तर्गत संचालित संस्थान से सम्बन्धित जो भी परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल) है का कय, विक्रय, प्रबन्ध, भारांन्तिक, हस्तान्तरण, विनिमय, बंधक, डिमाइस, पट्टा अथवा किराये पर देना, निस्पादन अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहार करना।

60 उर्जा के क्षेत्र मे प्राकृतिक अप्राकृतिक व बैकल्पिक उर्जा वायोगैस आदि का उत्पादन एवं क्रय, विक्रय संचालन,प्रदर्शन करना।

61 संस्था के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक व राष्ट्रीयकृत बैंको में, डाकघर में खाता खोलना, तथा लेन–देन करना अथवा जैसी भी आवश्यकता हो बैंक/बैंको/डाकघर के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना एवं ट्रस्ट हित में बैंको से ऋण लेना।

62. संस्था की सभी अथवा किन्ही उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए शाखाऐं खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना।

63. संस्था की किसी भी गतिविधियों की उपलब्धि के लिए प्रशासनिक अथवा नेतृत्व सम्बन्धित सभी कानून समस्त कार्य तथा उसके लिए आवश्यक खर्च करना।

64 क्षेत्रिय एवं राष्ट्रीय न्यूज चैनलो की स्थापना करना एवं ब्यूज, डाक्यूमेन्ट्री फिल्मो का निर्माण एवं प्रदर्शन एवं प्रचार प्रसाद करना तथा सोशल मीडिया के अन्तर्ग वेब पोर्टल, यू–टूब चैन, पेज न्यूज, पेज, सोचना विज्ञान केन्द्र, दुर्दशन, इन्स्ट्राग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, टियूटर, वाट्शाप ग्रुप सहित इत्यादि संसाधनो द्वारा स्थानीय खबरो एवं समाचार को जन–जन तक पहॅुचाना।

जावेद अनवर

65. केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उ0प्र0खादी कमीशन के पैटर्नानुसार खादी बस्त्रों एवं खादी कच्चे धागों का निर्माण करना तथा इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, कुटीर उद्योगों की स्थापना व संचालन करके बेरोजगार लोगों को वस्त्र बनाने व बेचने का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

66 खादी का प्रचार–प्रसार करना तथा इसके निमित्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करना तथा खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन, केन्द्रीय खादी बोर्ड से ऋण अनुदान, दान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसका उपयोग संस्था विकास एवं चेरिटेबुल कार्यो मे व्यय करना।

67 केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयेाग/उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्था विकास में कार्य करना। तथा पार्को का निर्माण कराना तथा उसमें सेनानी एवं शहीदो की मूर्ति लगवाना।

68 हिन्दी, भोजपुरी, अंग्रेजी तथा देश के किसी क्षेत्रिय भाषा में कहानी, कथा, पटकथा, धारावाहिक, नाटक, फिल्म, डाकोमेन्ट्री फिल्म का निर्माण एवं संचालित/प्रसारित करना।

69. विभिन्न संगठनो, संस्थाओ, समूहो से जुड़कर कल्याणकारी योजनाए संचालित करना व कराना उनसे ऋण, चन्दा, अनुदान आदि लेना व देना।

70 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, दुरस्थ शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, कोचिंग सेन्टरों की स्थापना, आनलाईन शिक्षा प्रणाली, दृष्य संसाधन श्रव्य संसाधन, एवं दृष्य, श्रव्य संसाधन यंत्रो द्वारा शिक्षा केन्द्र अथवा कालेज की स्थापना व संचालित करना।

जावेद अनवर

71 उत्तर प्रदेश सरकार/भरत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों तथा ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

72. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों, आई0सी0एस0ई0 विद्यालयों, इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करना।

73. पैरामेडिकल कालेज के अन्तर्गत हास्पीटल एवं रिसर्च सेन्टर, नर्सिंगहोम, फार्मेसी, पैथालाजी, रेडियोलाजी, फिजियोथेरैपी, आप्टोमिर्टी, नर्स, एक्सरे, एक्सरेटेक्निशियन, ब्लड बैंको की स्थापना एवं जॉच आदि प्रशिक्षण केन्द्रों तथा मेडिकल स्टोर एवं मेडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

74. गो–पालन एवं पशुपालन, पक्षी, अभ्यरण जीव–जन्तु को विकसित करना एवं इसके माध्यम से भारत राष्ट्र को सुखी, समृद्धशाली, सशक्त तथा सम्पन्न बनाने का प्रयास करना।

75 पंच गब्य (गाय का दूध, दही, गोमूत्र, गोबरी, गोधृत) से सभी प्रकार की औषधियों का निर्माण करना तथा गोबर इत्यादि से अगरबत्ती, साबुन, दंत मंजन, पाउडर आदि का निर्माण करने की सही व उचित राय देने का प्रयास करना।

76 उत्तम जाति के साड़ो के माध्यम से गोवंश विकास करके अधिक दूध देने वाली जाति की संतानों को उत्पन्न करने का प्रयास करना।

77 गोकसी एवं गोमांस एवं मांस निर्यात पर विशेष ध्यान देकर मांस का व्यापार, विक्रय व निर्यात रोकने का हर प्रकार से प्रयास करना। तथा गाय, भैस, ऊँट, बकरी, गदहा, घोड़ा, हाथी आदि जानवरो का मेला लगवाना। तथा मेला पदर्शना लगवाना।

जावेद अनवर

78 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना एवं उनसे संबंधित कोर्सो को संचालन करना।

79 उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्र, नेहरू युवा केन्द्र, बाल एवं पुष्टाहार केन्द्र एन0सी0सी0 एवं एन0एस0एस0 केन्द्रो की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

80 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों, आई0सी0एस0ई0 विद्यालयों, इन्दिरा गांधी मुक्त विश्व विद्यालयों, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना, आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, इजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

81 स्वास्थ्य राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा इक्यूप्रेशर आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा नर्स प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

82. बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हे स्वरोजगार मे स्थापित करने का प्रयास करना। तथा ट्यूशन कोचिंग के रूप मे विद्यालय का संचालन कराना।

जावेद अनवर

83. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे मलेरिया, कालाजार, डेगू बुखार, जापानी इनसेफलाइटिस, फाइलेरिया, क्षय रोग, पोलियों, खसरा, हेपेटाईटिस, रजित रोग, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी0बी0, चेचक, गिनी, कमियाज आदि के टीकारण उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों मे सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना।

84. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब, असहाय लोगों को भोजन चिकित्सा आवास वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना।

85. नशा उन्मुलन हेतु कार्य करना तथा जागरूकता पैदा करने हेतु जगह—जगह नुक्ड़ सभा आदि का आयोजन करना व कराना मेला, प्रदर्शनी, उत्सव, महोत्सव का आयोजन करना व कराना, पशुओं के क्रय विक्रय हेतु मेला का आयोजन करना सचल डिस्पेन्सरी की व्यवस्था करना एवं उसके हेतु अनुदान केन्द्र सरकार राज्य सरकार सरकारी और गैर सरकारी संगठनो, व्यक्ति से पाप्त करना।

86 भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला तहसील, ब्लाक, तथा न्याय पंचायत,ग्राम पंचायत स्तर पर महर्षि परशुराम जी एवं अन्य देवी देवताओ, ऋृषियो, महात्माओ, महापुषो, व स्वत्रंता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं का निर्माण, जीर्णोद्धार करना।

जावेद अनवर

87 लोक सेवको, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, आदि लोगो की गतिविधियों पर ध्यान रखना एवं उनके द्वारा जनता का शोषण व भ्रष्टाचार मे लिप्त होने पर उनके खिलाफ आवाज उठाना एवं कार्यवाही हेतु प्रयास करना।

88 सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के E.W.S. कोटा सरकार द्वारा दिये गये आरक्षण को देश के सभी प्रदेशो, जनपदो के सभी विभागो मे सरकारी सेवाओं/योजनाओं को शत–प्रतिशत लागू कराना। तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयी प्रक्रिया के माध्यम से लागू कराना।

89 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करना।

90 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों आदि के बीच उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना।

91 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों आदि को एकजुट कर उनकी मांगों सद्भाव पूर्वक सरकार से हल कराने का प्रयास करना।

92. सरकारी कर्मचारियों के कल्यार्थ चलाये जा रहे समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी देशी एव विदेशी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना एवं उनकी सुविधाओं को ट्रस्ट के माध्यम से दिलाने का प्रयास करना।

93 सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, किसानों, व्यापारियों के ऊपर हो रहे अनैतिक अत्याचारों के विरूद्ध आवाज उठाना तथा उन्हे एकजुट कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष स्वयं अथवा कोर्ट के माध्यम से अपना विचार प्रकट करना।

जावेद अनवर

94 कृषि यन्त्रीकरण को बढावा देना तथा नये कृषि यंत्रो को उपलब्ध करना। मृदा परीक्षण केन्द्रो स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना तथा किसानों मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के बारे मे जानकारी प्रदान करना।

95. सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से कन्ट्रेक्ट लेकर छोटे–बड़े भवन, पुल, पुलिया, मकान, दुकान, रास्ता, सड़क, नाली, खड़ंजा, तारकोल लेपन कार्य, सीमेन्ट, ईट, इत्यादि का निर्माण करना एवं तालाबों नहरो, नदी, कुँआ, आदि की सफाई एवं सुन्दरीकरण करना।

96. हरित क्रान्ति योजना को सुगम बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र डेयरी की स्थापना व संचालन करना। तथा लकड़ी कोयला भठ्ठी आदि का संचालन करना।

97. मेड़बन्दी, भूमि समतलीकरण एवं अन्य कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करना।

98. नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना।

99. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, हरिजन कल्याण, बाल कल्याण, महिला कल्याण, विधवा कल्याण, वृद्ध कल्याण, मृतक आश्रित कल्याण, इत्यादि को विभिन्न विभागों द्वारा जारी जनकल्याणकारी योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करना।

100. बालू खदान, मार्बल खदान, पत्थर खदान, लोहा खदान, कोयला खदान, तालाब खदान आदि विभिन्न प्रकार के खनिज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का आयोजन करना।

101. शेयर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना तथा इस निमित्त पत्र पत्रिकाओं अखबारो व अन्य दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करना।

102. मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति से अंग प्राप्त कर उसे जरूरतमंदों को प्रदान करना तथा ब्लड बैंक का संचालन करना। तथा लावारिस लाशो को दफनाना तथा लावारिस जानवरो की मृत्यु के उपरान्त दफनाना।

जावेद अनवर

103 ट्रस्टहित मे ट्रस्ट की सम्पत्ति यथा—भूमि भवन का क्रय विक्रय करना, बेचना एवं खरीदना बन्धक, एग्रीमेन्ट, पट्टे तथा भाड़े आदि पर देना, तथा संस्था हित में गाड़ी क्रय करना व विक्रय आदि करना। यह सभी कार्य प्रबन्ध/ट्रस्टी ही करेगा अन्य किसी भी प्रदाधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नही होगा न ही इसमें कोई बहुमत मान्य होगी।

104 सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों तथा उपकमों एवं निगमों में निविदा डालना तथा कार्य कराना।

105 ट्रस्टहित में सम्पत्ति भूमि, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, व्यावसायिक सम्पत्तियों का रजिस्ट्री करना व उनका एग्रीमेन्ट करना तथा किराये पर सुविधानुसार देना व लेना।

106 उद्यान, वन संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, फल संरक्षण से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र देना, उत्पादन, बिकी करना तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सरकार एवं गैर सरकारी संस्था से सहायता प्राप्त कर उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा संचालित सभी तरह के कार्यकमों को करना एवं परामर्श केन्द्र स्थापित करना।

107 भविष्य मे आवश्यकतानुसार जनसमुदाय के कल्याण हेतु संघो की स्थापना की जायेगी, जैसे—राष्ट्रीय शिक्षक संघ, राष्ट्रीय प्रत्रकार संघ, राष्ट्रीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ, राष्ट्रीय व्यापारिक संघ, राष्ट्रीय दिव्यांग संघ,राष्ट्रीय महिला संघ, राष्ट्रीय चिकित्सक संघ, राष्ट्रीय कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय किसान संघ, राष्ट्रीय विशिष्टजन संघ, राष्ट्रीय मनरेगा मजदूर संघ, राष्ट्रीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ई0डब्लू0एस0 संघ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति संघ, राष्ट्रीय जनजाति संघ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संघ, राष्ट्रीय ब्राम्हण संघ, राष्ट्रीय क्षत्रिय संघ, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबन्धक संघ, राष्ट्रीय छात्र संघ, राष्ट्रीय अभिभावक संघ, राष्ट्रीय हास्पीटल प्रबन्धन संघ, राष्ट्रीय वाहन स्वामी संघ, राष्ट्रीय चालक एवं परिचालक संघ, राष्ट्रीय विक्रेता संघ, राष्ट्रीय दुग्धविक्रेता संघ, राष्ट्रीय फुटपात एवं पटरी दुकान संघ, राष्ट्रीय ठीकेदार संघ, राष्ट्रीय कम्पनी संघ, राष्ट्रीय ट्रस्ट संघ, राष्ट्रीय स्कूल कालेज, महाविद्यालय संघ, राष्ट्रीय गुरूकुल संघ राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मुलन एवं निवारण संघ, राष्ट्रीय वित्तविहिन शिक्षक संघ, राष्ट्रीय संविदा कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ, राष्ट्रीय सूचना का अधिकार संघ, राष्ट्रीय मौलिक अधिकार संघ, राष्ट्रीय सोशल मिडिया संघ, राष्ट्रीय नशा उन्मुलन संघ, राष्ट्रीय बागवानी संघ, राष्ट्रीय अप्रवासी संघ इत्यादि की स्थापना एवं संचालन करना।

जावेद अनवर

प्रारम्भिक उपबन्ध–

1. वर्तमान मे ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक–15.05.2024 से **जावेद अनवर** जो कि न्यास कर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट डीड का मैनेजिंग ट्रस्टी यानी प्रबन्धक स्वीकृत किया जाता है।

2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/सेक्रेटरी/प्रबन्धक **जावेद अनवर** द्वारा रजिस्ट्रार के यहॉं रजिस्ट्री कर सुनिश्चित किया जाता है कि उनके पश्चात उनकी पत्नी ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होंगी तथा उनके पश्चात उनके पुत्र/पौत्र/प्रपौत्र आदि बंशावली पर आधारित मैनेजिंग ट्रस्टी/सिक्रेटरी/प्रबन्धक ही होगें। पत्नी की मृत्यु के बाद पुत्रो में जेष्ठताक्रम से ही ट्रस्टी/प्रबन्धक बनाये जायेगें।

3. वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल मे ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्य अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते है।

4. यदि **जावेद अनवर** के निधन हो जाता है तो उनकी पत्नी ट्रस्टी/प्रबन्धक होगी तथा पत्नी के मरणेपरान्त जेष्ठताक्रम मे पुत्रो को ही ट्रस्टी/प्रबन्धक बनाया जायेगा।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी/सेक्रेटरी/प्रबन्धक को चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/ सेक्रेटरी/प्रबन्धक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे कि मैनेजिंग ट्रस्टी/सिक्रेटरी/प्रबन्धक की यह व्यवस्था रजिस्टार के यहा रजिस्टर्ड कराये अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पस्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने जीवन काल के उतरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी। किसी भी दशा में ट्रस्टी/प्रबन्धक जावेद अनवर की पत्नी/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र आदि ही ट्रस्टी/प्रबन्धक होगें इसमें किसी भी दूसरे परिवार का व्यक्ति या सदस्य शामिल नही किया जायेगा।

जावेद अनवर

6. यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/सेकेटरी/प्रबन्धक अपने जीवन काल मे अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/सेकेटरी/प्रबन्धक तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

जावेद अनवर

नियमावली

1. न्यास का नाम— बलिया पब्लिक एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट।
2. न्यास का पूरा पता— ग्राम–पो0–पिपरौली बड़ा गॉव, थाना–उभॉव परगना–सिकन्दरपुर गर्वी, तहसील–बेल्थरारोड जनपद–बलिया (उ0प्र0) पिन–221715 भारत।
3. न्यास का कार्यक्षेत्र— सम्पूर्ण भारत एवं अन्तर्राष्टीय।
4. न्यास की सदस्यता तथा उनके वर्ग—

क— संस्थान सदस्य— न्यास की स्थापना करने वाले व्यक्ति आजीवन संस्थापक सदस्य होगें।

ख— आजीवन सदस्य— जो व्यक्ति न्यास को एक बार 2000.00 रूपया निःस्वार्थ भाव से देगा वह व्यक्ति आजीवन सदस्य होगा।

ग— साधारण सदस्य— जो व्यक्ति न्यास के हित के लिए सदैव कार्यरत रहेगा तथा न्यास को रू0–1000.00 प्रति वर्ष चन्दा के रूप में निःस्वार्थ भाव से देता रहेगा वह साधारण सदस्य होगा।

घ— संरक्षक/विशिष्ट सदस्य— सांसद, विधायक, डाक्टर, अधिकारी, न्यायाधीश, पत्रकार समाज सुधारक/सेवी जो इस न्यास मे अटूट विश्वास रखते हैं और इसकी तरक्की चाहते है वे संरक्षण/विशिष्ट सम्मानित सदस्य होगे।

5. **सदस्यता की समाप्ति—**

क— मृत्यु होने पर।

ख— पागल या दीवालिया होने पर।

ग— त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

घ— न्यास के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।

ड़— किसी न्यायालय द्वारा दण्डित या गम्भीर अपराध होने पर।

च— अनुशासनहीनता पर।

छ— न्यास की सदस्यता की समाप्ति के लिए संस्थापक के पास विशेषाधिकार सुरक्षित होगा।

जावेद अनवर

6. **न्यास के अंग–**

क– संस्थापक/सदस्य।

ख– साधारण सभा।

ग– प्रबन्धकारिणी/कार्यकारिणी न्यास।

क. **संस्थापक/सदस्य–** न्यास की स्थापना करने वाले व्यक्ति संस्थापक सदस्य होगें। संस्थापक की मृत्यु होने पर उनके कानूनी वारिस उसके प्रथम वरीयता प्राप्त वारिसान में से कोई एक व्यक्ति उनके पद पर आसीन होगा। संस्थापक अपने जीवनकाल में अगले संस्थापक की घोषणा कार्यकारिणी सभा की बैठक में कभी भी कर करते है।

ख– साधारण सभा– सभी प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का गठन करेगें।

1. बैठक–

क– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष मे एक बार होगी।

ख– विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर बुलायी जा सकती है।

ग– साधारण बैठक 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

2. सूचना अवधि–

क– साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए 07 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी किन्तु आपात बैठकों हेतु तीन दिन पूर्व सूचना दी जा सकती है।

3. गणपूर्ति–

क– साधारण सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या– 1/3 पर होगी।

ख– गणपूर्ति के अभाव स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नही होगी।

जावेद अनवर

7. **साधारण सभा की बैठक का संचालन–**

क– साधारण सभा की बैठको का संचालन अध्यक्ष/संस्थापक करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में न्यास के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करेंगे तीनों की अनुपस्थिति मे सदस्यों के बैठक के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जायेगा।

ख– प्रबन्धक द्वारा आवश्यक कार्यक्रम एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेगे।

ग– न्यास के सभी अभिलेख एवं कागजात बैठक मे प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जायेगे।

घ– न्यास के सभी अभिलेख एवं कागजातों के रख–रखाव का दायित्व सेक्रेटरी/प्रबन्धक संस्थापक/अध्यक्ष का होगा।

8. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–**

क– ट्रस्ट/कार्यकारिणी का चुनाव करना।

ख– आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण भारत में ट्रस्ट के उददेश्यों की अनुकूल नवीन न्यासों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

ग– न्यास के सदस्यों का चुनाव करना तथा न्यास का कार्य करना।

घ– न्यास के वार्षिक आय–व्यय बजट पर स्वीकृति एवं सुझाव देना।

ड़ न्यास के चल/अचल सम्पत्ति की देख–'रेख करना तथा चन्दा एकत्र करके न्यास को प्रदान करना।

9. **न्यास/कार्यकारिणी–**

क– विस्तार–कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की कुल संख्या कम–से–कम 1 और अधिक से अधिक 5 होगी। तथा प्रथम ट्रस्टी के अनुसार सदस्य एवं पदाधिकारियों का गठन किया जायेगा।

ख– कार्यकारिणी में न्यास का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा चुनाव के आधार पर जिसमें 05 पदाधिकारी तथा शेष सदस्य होगे।

ग– बैठक–प्रबन्धकारिणी न्यास के सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार आवश्यक होगी। आवश्यकता पड़ने पर आपात बैठक भी बुलाई जा सकती है।

जावेद अनवर

घ— गणपूर्ति—

1. बैठक में गणपूर्ति हेतु सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।
2. स्थगित बैठकों के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नही होगी।

10 रिक्त स्थानो की पूर्ति—

प्रबन्धकारिणी न्यास के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्ति होने पर ट्रस्टी को स्वयं अधिकार रहेगा।

11. प्रबन्ध न्यास/न्यास कार्यकारिणी के कार्य अवधि व कर्तव्य—

क— प्रबन्धकारिणी न्यास का कार्यकाल सामान्य रूप से निरन्तर ट्रस्टी के अनुसार ट्रस्ट चलाया जायेगा।

ख— न्यास के हित में उसके उद्देश्यों के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य करना।

ग— न्यास का वार्षिक बजट व प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।

घ— न्यास का सामान्य तथा आपात बैठक मे उपस्थित होकर अपना विचार प्रकट करना।

ङ— न्यास के लिए धन जुटाना।

12. संस्थापक—

संस्थापक का स्थान न्यास में अतिविशिष्ट है तथा उसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त है यह पद वंशानुगत होगा। जो प्रथम ट्रस्टी के मरणोउपरान्त पत्नी व पुत्रो के जेष्ठताक्रम मे होगा।

जावेद अनवर

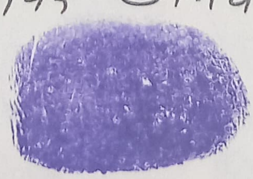

13. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार एव कर्तव्य—**

संस्थापक/अध्यक्ष— बैठक आयोजित करना तथा संस्थापक की अनुपस्थिति मे उसकी अध्यक्षता करना।

ख— बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करना और अनुमोदन करना तथा मत विभाजन की व्यवस्था करते हुए समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

ग— बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम करना तथा किसी भी सदस्य के विरोध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

घ— न्यास के लिए चंदा एकत्रित करना अन्य न्यासों संगठनों राज्य सरकार भारत सरकार तथा विदेशों से अनुदान/धन प्राप्त करना।

ड़— न्यास मे मुख्य चालक के रूप मे कार्य करना न्यास के कार्यो का संचालन करना व क्रियान्वित करना या किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक व राष्ट्रीयकृत बैंक मे न्यास के नाम खाता खोलकर प्रबन्धक स्वयं (अध्यक्ष) द्वारा लेन देन करना।

च— नये सदस्यों की भर्ती करना।

छ— न्यास एवं न्यास से सम्बन्धित सभी संस्थाओं के कर्मियों की नियुक्ति करना पदोन्नति सेवा संचालन, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना तथा सेवा समाप्ति करना।

ज— विविध मदो पर व्यय करना तथा स्वीकृति देना तथा सभी व्यय बाउचर स्वीकृत करना तथा कोषाध्यक्ष से आय—व्यय का लेखा—जोखा करना।

14. **कोषाध्यक्ष—**

क— आय—व्यय का लेखा—जोखा तैयार करना।

ख— संस्थापक एवं अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

ग— संस्थापक एवं अध्यक्ष के आदेशानुसार समस्त धन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस मे जमा करना।

जावेद अनवर

15. **न्यास के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया–**

न्यास के नियमों एवं विनियमों मे परिवर्तन तथा परिवर्धन न्यास के उद्देश्यों के अनुकूल साधारण सभा और प्रबन्धकारिणी न्यास के प्रथम ट्रस्टी व उनकी पत्नी द्वारा चयनित सदस्यो का ही मान्य होगा।

16. **न्यास/ट्रस्ट का कोष–**

ट्रस्ट का कोष किसी भी मान्य प्राप्त व राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी भी शाखा में आरम्भिक कोष 10000 रूपये हैं जिसे खाते का संचालन प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किसी भी राष्ट्रकृत बैंक में खाता खोला एवं संचालन किया जायेगा।

17. **न्यास के आय–व्यय का लेखा परीक्षण–**

न्यास का वर्ष भर का आय–व्यय कोषाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

18. **न्यास द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–**

न्यास द्वारा उसके विरूद्ध की गयी अदालती कार्यवाही के लिए न्यास की ओर से प्रबन्धक न्यास द्धारा नियुक्त पदाधिकारी करेगे।

19. **न्यास के अभिलेख–**

क सदस्यता रजिस्टर।
ख– कार्यवाही रजिस्टर।
ग– सूचना रजिस्टर
घ– आय–व्यय रजिस्टर।
ड– स्टाक रजिस्टर।
च– प्रगति रिपोर्ट रजिस्टर।
झ– न्यास के हित मे सभी कार्य करना तथा अपने दायित्वों एवं कार्यो के सहायता हेतु न्यास से सहयोग लेना।

जावेद अनवर

0030846346

आवेदन सं०: 202400975001739

न्यास पत्र

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 19 | वर्ष: 2024

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1150 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 160 योग : 660

श्री बलिया पब्लिक एजूकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा
जावेद अनवर अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि,
पुत्र श्री स्व इश्तेयाक अहमद
व्यवसाय : वकालत
निवासी: सा० व पोस्ट पिपरौली बडागांव पर०सि०गवी तह०बे०रोडजिला बलिया

जावेद अनवर

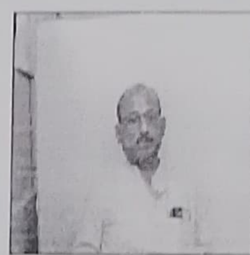

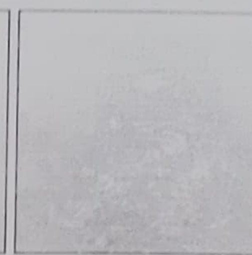

श्री, बलिया पब्लिक एजूकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा जावेद अनवर अधिकृत पदाधिकारी/प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 15/05/2024 एवं 02:10:03 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ओमप्रकाश सिंह प्रभारी
उप निबंधक :बेल्थरा रोड
बलिया
15/05/2024

मुकेश कुमार गौतम
निबंधक लिपिक
15/05/2024

प्रिंट करें

कार्यालय उप निबन्धक बेल्थरारोड-बलिया

प्रबन्धक एवं सेक्रेटरी/सचिव/कोषाध्यक्ष –

क– न्यास के द्वितीय कार्यचालक के रूप मे कार्य करना।
ख– बैठक की कार्यवाही करना तथा उसका कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
ग– ट्रस्ट की ओर से सभी बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
घ– ट्रस्ट के तरफ से तथा विरूद्ध होने वाली समस्त मुकदमों की पैरवी करना। न्यास के कार्यकर्ताओ/कर्मचारियों का निरीक्षण करना।
ङ– न्यास की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
च– कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति चल–अचल सम्पत्ति विक्रय आदि पर समान अधिकार प्राप्त होगा।

20 न्यास के विघटन और सम्पत्ति का निस्तारण–

इस ट्रस्ट /न्यास के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन होगी।

जावेद अनवर

5/15/24, 2:18 PM

आवेदन सं०: 202400975001739

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 19 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री बलिया पब्लिक एजूकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जावेद अनवर , पुत्र श्री स्व इश्तेयाक अहमद

निवासी: सा० व पोस्ट पिपरौली बडागांव पर०सि०गर्वी तह०बे०रोडजिला बलिया

जावेद अनवर

व्यवसाय: वकालत

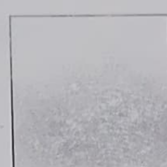
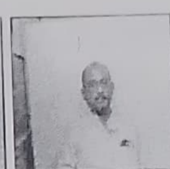

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मो हामिद , पुत्र श्री इरशाद अहमद

निवासी: सा० व पोस्ट चक मोकाम अली जिला देवरिया

व्यवसाय: शिक्षक Mohammad Hamid

पहचानकर्ता : 2

श्री मो जफर , पुत्र श्री स्व मो रफीक

निवासी: सा०बिठुवा पोस्ट जफ़र पर०सि०गर्वी तह०बे०रोडजिला बलिया

व्यवसाय: कृषि Mohd Zafar

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ओमप्रकाश सिंह प्रभारी
उप निबंधक : बेल्थरा रोड
बलिया
15/05/2024

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

मुकेश कुमार गौतम
निबंधक लिपिक बलिया
15/05/2024

कार्यालय उप निबंधक ★ बेल्थरारोड-बलिया

प्रिंट करें

गवाहान— 1 मो0 हामिद पुत्र इरशाद अहमद
ग्राम—पो0—चक मोकाम अली
जिला—देवरिया।
पेशा—शिक्षक, मो0—9956737160

2. मो0 जफर पुत्र स्व0 मो0 रफीक
ग्राम—बिठुआ पो0—बेल्थरारोड
तहसील—बेल्थरारोड, बलिया।
पेशा—कृषि, मो0—9616111398

जावेद अनवर

टाईपकर्ता— प्रभाकर
तहसील—बेल्थरारोड,बलिया।

मसविदा कर्ता— 15/5/2024
अहमद रजा एडवोकेट
पंजीयन संख्या—UP03830/2018
तहसील—बेल्थरारोड़, बलिया।
दिनांक— 15/5/2024

आवेदन सं०: 202400975001739

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 58 के पृष्ठ 343 से 404 तक क्रमांक 19 पर दिनाँक 15/05/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ओमप्रकाश सिंह प्रभारी
उप निबंधक : बेल्थरा रोड
बलिया
15/05/2024

प्रिंट करें